

**आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग
(राजस्व शाखा)**

M-458

प्रमाण-पत्र

05.11.2021 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/उद्यमों/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-सिमरिया, लावालौंग, चतरा एवं हंटरगंज के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है:-

400 KVD/C नार्थ कर्णपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण:-

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	सिमरिया	कसियातु	109	82, 41,	298P, 983P, 932, 929, 1070	2.889	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी	
2		कसारी	108	123	1623P	2.286		
3		बगरा	112	92	1203P,1226	1.982		
4		कुठान	116	12	168P	2.740		
5	लावालौंग	बक्सी	118	4	10, 33,	4.0351		
6		लम्टा	119	81	1p, 31, 304	2.9776		
7	चतरा	बड़गाँव	2018	9	5, 19, 47, 51	1.8903		
8		भांग	217	28	330P, 462P	2.4364		
9		परवत उर्फ ब्रहम्णा	213	43	60, 61, 447, 448, 485, 488, 493, 497, 510, 571, 599, 607, 680, 702, 714, 725, 815, 836P	20.4772		
10		अम्बाडीह	212	6	81P	2.0806		
11		गेरी	209	1, 30	41, 65, 68, 464, 729, 850, 858P	6.8857		
12		घुरनाडीह	210	3	25	0.299		
13		नरतमा	206	1	14, 17, 19	2.5007		
14		करमा	195	2	4, 22P, 29, 32, 40	5.0631		
15		सुरुज	194	17	21P, 45p	5.624		
16		संघरी	171	44	243P, 291P	4.5442		
17		हंटरगंज	पोस्तिया	297	92	266P, 1023, 1202P		8.5225
18			डेमडेम	300	16	244		0.1013
19			पैनीकला	301	78	63, 787		1.0724
20			झगरतरी	303	1	99		3.8177
21			राहरबार	121	19	46P		2.5550
22			हटवरिया	111	14	47P		1.8384
23			कासदावर	110	22	86		0.8500
24			गायघाट	109	19	90, 134, 138		4.6554
कुल योग-						92.123		

उपर्युक्त वर्णित भूमि 400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-92.123 एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर